राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2449/2023

नारायण लाल जाट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य अधिशाषी अधिकारी, जिला परिषद, चितौड़गढ।
3. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति भदेसर, जिला चितौड़गढ।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.09.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेन्द्र कुमार सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर ग्राम पंचायत मण्डफिया पंचायत समिति, भदेसर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 20.09.2023 के द्वारा अपीलार्थी को जिला परिषद चितौड़गढ कार्यालय में लगाया गया है, जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 21.09.2023 को कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में अपीलार्थी को दिनांक 25.08.2023 के द्वारा पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ लगाया गया था, जिस आदेश को अपीलार्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 2243/2023 नारायण लाल जाट बनाम राजस्थान राज्य में चुनौती दी थी। अधिकरण द्वार आदेश दिनांक 11.09.2023 के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 25.08.2023 की क्रियान्विति स्थगित रखे जाने के आदेश दिये थे। स्थगन आदेश पारित होने के बावजूद भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण, स्थानांतरण पर प्रतिबंध की अवधि में किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका आगे यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला परिषद की स्थाई समिति द्वारा

`

ही किया जा सकता है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना नियम–289(2), राजस्थान पंचायती राज नियम–1996, के प्रावधानों के विपरीत है।

3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। वर्तमान स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.09.2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण विधानसभा आम चुनाव 2023 से संबंधित कार्य निष्पादन हेतु किया गया है। जहां तक नियम–289(2) का प्रश्न है, हम यह पाते हैं कि स्थानान्तरण जिला परिषद द्वारा किया गया है। अतः उक्त नियम की अवहेलना होना प्रकट नहीं होता है। इसके अलावा आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी को चुनाव से संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु विशेष कार्य के लिए लगाया गया है, ऐसे में उक्त प्रावधान अपीलार्थी पर लागू नहीं होता है।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस आलौच्य आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)